न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

RCMS No.–2016/00220

पंचायत निगरानी संख्याः 17/2016

गिरिराज शर्मा पुत्र स्व. श्री रामवतार शर्मा निवासी ग्राम धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री दामोदर शर्मा निवासी ग्राम धोला ग्राम पंचायत धोला ग्राम धोला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत धोला जरिये सचिव पंचायत मुख्यालय धोला पंचायत समिति जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आज्ञा प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ दिनांक 17.09.2014 अपील संख्या 36/2008 पर नये सिरे से आदेश पारित कर प्रार्थी के हक में दिये गये ग्राम पंचायत धौला द्वारा पट्टा एवं निर्णय दिनांक 05.12.2007 को निरस्त करने के संबंध में।

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.11.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत धौला द्वारा जारी पट्टे को अपील संख्या 36/2008 में आदेश दिनांक 17.09.2014 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 30.12.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री देवेन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विकास अधिकारी पं. स. जमवारामगढ के पत्रांक 898 दिनांक 04.03.2015 द्वारा मूल पत्रावली पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसल की गई एवं वकील पक्षकारान की मौखिक बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के आवेदन पर निगरानीकर्ता की कब्जेशुदा भूमि पर दिनांक 05.12.2007 को नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों की पालना करते हुए पट्टा संख्या 21 क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज जारी किया गया था। विपक्षी संख्या 1 हरिनारायण द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा पट्टे की भूमि को निरस्त करवाने हेतु प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के यहां पेश कर एवं प्रार्थी के वैधानिक पट्टे का निरस्त करवा लिया। प्रार्थी ने प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के निर्णय के विरूद्व न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07.10.2010 द्वारा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण पंचायत समिति को दोनो पक्षो को समुचित सुनवाई का अवसर देकर रिमाण्ड किया किन्तु प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपील का निस्तारण दिनांक 16.05.2012 को कर दिया। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने न्यायालय हाजा में निगरानी संख्या 9/12 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 16.05.2012 को चुनौती दी। जिस पर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.11.2012 द्वारा निर्णय पारित किया गया कि प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ का निर्णय दिनांक 21.11.2011 एवं पश्चातवर्ती निर्णय दिनांक 16.05.2012 निरस्त किया जाता है एवं नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए उभयपक्षकारों को सुना जावे। लेकिन पंचायत समिति ने श्रीमान अति. कलक्टर प्रथम के निर्देशो की अनदेखी करते हुए निगरानीकर्ता को कोई समुचित अपना पक्ष रखने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के अवसर दिये बिना ही पत्रावली की ऑर्डर शीट दिनांक 16.07.2014 पर जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 6(3) विचार विमर्श किया एवं निगरानीकर्ता को सुना नहीं गया। दिनांक 17.09.2014 को निगरानीकर्ता के पट्टे को अवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के आदेश दिनांक 17.09.2014 के विरूद्व यह निगरानी पेश की गई है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा है एवं आबादी भूखण्ड के चारो ओर नींव भरकर सीमाओ को महफूज कर रखा है तथा मौके पट्टियो की पाटरोल निर्मित कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.09.2014 में न्यायालय अति. कलक्टर प्रथम के निर्देशो की पालना नहीं की एवं निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय लेते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 को नाजायज लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 21 खारिज कर दिया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमिश्नर द्वारा मौका रिपोर्ट पर मौके की जांच नहीं की गई, मौका रिर्पोट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिर्पोट पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं है और न ही स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में मौका देखा गया। अधीनस्थ न्यायालय उक्त फर्जी मौका रिपोर्ट को अपने निर्णय का आधार बनाया है जो विधिसम्मत नहीं है। निगरानीकर्ता को पट्टा पंचायत द्वारा पूर्णतया पंचायती राज नियमों का पालन करते हुए पंचगण द्वारा मौके के निरीक्षण करवाकर, एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत की कोरम के समक्ष प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क लेकर आबादी भूमि का पट्टा संख्या 21 जारी किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने निगरानीकर्ता को परेशान करने एवं उसकी कब्जेशुदा भूमि को हडपने की नीयत से अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ में गलत तथ्य पेश कर निगरानीकर्ता का वैधानिक पट्टा खारिज करवा दिया। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपील संख्या 36/2008 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2014 खारिज किया जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम पंचायत धौला द्वारा जारी पट्टा विलेख बहाल फरमाया जावे। .

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम धौला स्थित निगरानीधीन भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का ही कब्जा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमविरूद्व जाकर अप्रार्थी की कब्जेशुदा जमीन पर पट्टा जारी करवा लिया जिसके विरूद्व प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ में अपील की गई। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा विधिसम्मत विवादित पट्टा खारिज कर दिया। अप्रार्थी हरिनारायण का कब्जा विवादित भूमि पर 1950 से लगातार है। विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2008 वर्गगज है जिस पर पुराना कब्जा होने के आधार पर ग्राम पंचायत धौला द्वारा कुल भूमि में से 1728 वर्गगज का विकय पत्र मय साईट प्लान 25.05.71 को जारी किया गया एवं शेष 280 वर्गगज भूमि का विकय पत्र दिनांक 22.05.1991 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया। उक्त विकय पत्र दिनांक 29.03.2001 का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय में कराया गया। निगरानीकर्ता ने गैर निगरानीकार संख्या 1 की भूमि पर विवादित पट्टा संख्या 21 ग्राम पंचायत धौला से दिनांक 05.12.2007 को जारी करवा लिया जिसे प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ ने दिनांक 05.12.2009 को खारिज कर दिया। श्रीमान के न्यायालय द्वारा प्रकरण पेश होने पर रिमाण्ड की गई एंव प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा पुनः निगरानीकर्ता के हक में जारी पट्टा निरस्त कर दिया। निगरानीकर्ता बार–बार बिना किसी आधार के एक के बाद एक निगरानी प्रस्तुत कर ना केवल न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है बल्कि गैर निगरानीकार को नाजायज परेशान कर रहा है। निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकार के मध्य न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फा.ट्रेक.) कम 2 जयपुर द्वारा दिनांक 05.09.2011 को निगरानीकर्ता के विरूद्व डिकी कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया है कि वह गैर निगरानीकार संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा निर्णय दिनांक 17.09.2014 पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो के हक में जारी दस्तावेजात एवं भूमि के वास्तविक मौका स्थिति की जानकारी हेतु एक निरीक्षण दल नियुक्त किया गया। निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 23.08.2013 को मौके की गहनता एवं बारीकी से अवलोकन के आधार पर रिपोर्ट प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ में विचाराधीन अपील में पेश की गई। निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का ही कब्जा है एवं किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति ने विवादित भूमि पर निगरानीकार के कब्जे एवं अधिकार के संबंध में गवाही नहीं दी गई। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा निगरानीधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया जाने पर विकास अधिकारी अधिकारी पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपने आदेश

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

दिनांक 17.09.2014 को अपील संख्या 36/2008 में ग्राम पंचायत धौला द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में आदेश दिनांक 05.12.2007 की अनुपालना में जारी किये गया पट्टा संख्या 21 को निरस्त किया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना की गई है एवं निगरानीकार का ही विवादित भूमि पर कब्जा है एवं विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ ने निगरानीकार को सुनवाई का अवसर न देते हुए निगरानीधीन निर्णय दिनांक 17.09.2014 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति जमवारामगढ में उपस्थित हुआ जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में विकास अधिकारी जमवारामगढ द्वारा निरीक्षण दल के साथ में मौका देखा गया है जिसमें निगरानीकर्ता का विवादित भूमि पर कब्जा होना नहीं पाया गया एवं निगरानीकर्ता को जारी पट्टे में दर्शायी गयी सीमायें भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी अन्य पट्टो की सीमाओ का अतिक्रमण करना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा दोनो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए दोनो पक्षो की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ द्वारा मौके का निरीक्षण कर सभी तथ्यों व साक्ष्यो की जांच करते हुए न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए अपील संख्या 36/2008 उनवानी हरिनारायण बनाम गिरिराज में निगरानीधीन निर्णय 17.09.2014 पारित किया है उक्त निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(पुखराज सेन)
अति जिला कलक्टर-प्रथम
जयपुर